[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11/2023- सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 90/2009- सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 2009, संख्यांक सा. का. नि. 644(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।"
2.	अधिसूचना सं. 33/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा. का. नि. 768(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।"
3.	अधिसूचना सं. 41/2017- सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा. का. नि. 776(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव

टिप्पण :-

1. मूल अधिसूचना संख्या 90/2009-सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 2009, संख्यांक सा.का.नि. 644(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 47/2021-सीमा-शुल्क, तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि.709(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

2. मूल अधिसूचना संख्या 33/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 768(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

3. मूल अधिसूचना संख्या 41/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 776(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।